

वस्तुओं का आदान-प्रदान : सीमा पार व्यापार की बहाली

साभार : द हिन्दू
10 अगस्त, 2017

अफाक हुसैन (निदेशक, उद्योग और आर्थिक बुनियादी बातों पर अनुसंधान के व्यूरो, आरआईईएफ, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

इस हफ्ते उरी-मुजफ्फरगाबाद मार्ग पर नियंत्रण रेखा पार व्यापार की शुरूआत के साथ ऐसा लगता है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस व्यापार का समर्थन करने के अपने वादे को बरकरार रखा है। 21 जुलाई को उड़ी में व्यापार बंद कर दिया गया था जब प्रतिबंधित दवाओं के एक ट्रक से जब्त कर लिया गया था, जबकि पूँछ-रावलकोट मार्ग पर व्यापार एक महीने से अधिक समय तक सीमा तनाव के बाद बंद हो गया है।

वस्तु विनियम व्यापार से संबंधित

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने व्यापारियों के वित्तपोषण पैटर्न की जांच शुरू होने के बाद देर से, नियंत्रण रेखा पार व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे प्रशासनिक चेक, हालांकि आवश्यक हैं, व्यापार अनियमिताओं के मूल कारण को संबोधित नहीं करते हैं।

हालांकि जांच के परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह वस्तु विनियम है, जिसमें सामान किसी भी मौद्रिक विनियम के बिना आदान-प्रदान किया जाता है। इसलिए, नियमित रूप से लेखाकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य प्रथाएं यहां लागू नहीं हो सकती हैं। व्यापार को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित व्यापार अधिकारियों के बीच स्थायी और औपचारिक रूप से संचार सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

बेहतर प्रयास किया जाए-

1. सबसे पहले, भारत और पाकिस्तान की सीमावर्ती सीमा में मादक और हथियारों की तस्करी के मामलों की जांच के लिए भारत और पाकिस्तान की एक संयुक्त जांच टीम की स्थापना करनी चाहिए।
2. दूसरा, व्यापारियों और व्यापार प्रथाओं पर एक जांच रखने के लिए, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों का एक निगरानी सेल का गठन किया जाना चाहिए। इसे स्थानीय व्यापार प्रथाओं जैसे कि व्यापारियों के पंजीकरण, चालान-प्रक्रिया और सामानों के आदान-प्रदान, व्यापारिक संतुलन आदि पर नजर रखनी चाहिए ताकि हवाला के आरोपों, आदान-प्रदान के आरोपों का और वस्तुओं के गलत ब्योरे का भी पता लगाया जा सके।
3. तीसरा, व्यापारिक समुदायों को संस्थागत बनाने और औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है। एक पहल के रूप में, दोनों पक्षों के व्यापारियों और चैम्बर के सदस्य जम्मू और कश्मीर के संयुक्त चैम्बर ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्री नामक एक संयुक्त चैम्बर के विचार के साथ सामने आए हैं।
4. अंत में, एलओसी व्यापारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण है। आबकारी और सुरक्षा एजेंसियों से समर्थन के साथ, प्रशिक्षण सत्रों को इस व्यापार के मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ-साथ बैलेंस शीट को बनाए रखने के साथ ही स्थापित लेखा पद्धतियों को भी आयोजित किया जाना चाहिए।

पिछले साल के दौरान, कई आरोपों से नियंत्रण रेखा पार व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापार की बहाली के साथ, सरकार को 'अगले स्तर' तक नियंत्रण रेखा विश्वास निर्माण उपायों (सीबीएम) को ले जाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। अब्टूबर में, क्रॉस-एलओसी व्यापार नौ साल पूरा कर लेगा। इसके आस-पास मौजूद नकारात्मक धारणा के बावजूद, यह व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे सफल सीबीएम में से एक है। नियंत्रण रेखा पार व्यापार ने जम्मू और कश्मीर के दोनों पक्षों को जोड़ने में भी कामयाब रहा है, जिससे एक अन्य अशांत क्षेत्र में शांति का निर्माण करने में मदद मिली है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार आगे बढ़ना जारी रहे।

मुक्त व्यापार संधि (free trade agreement-FTA)

- मुक्त व्यापार संधि का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिये किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
- इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह संधि की जाती है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं।
- इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती रही है। हालांकि कुछ कारणों के चलते इस मुक्त व्यापार का विरोध भी किया जाता रहा है।

एफटीए से संबंधित वैश्विक अनुभव

- ऐसे देश जो वस्तु एवं सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, वे एफटीए के जरिये तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ कमा सकते हैं। फिर भी एफटीए के माध्यम से हर कोई लाभ कमाता है, लेकिन आज एफटीए की प्रचलित अवधारणा और वास्तविकता के बीच टकराव देखने को मिल रहा है।
- विदित हो कि 'उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता', जिसे 1994 में लागू किया गया था, मैक्सिको को निर्यात के कारण 200,000 नई नौकरियाँ पैदा करने वाला था, लेकिन 2010 तक अमेरिका की मैक्सिको के साथ व्यापार घाटे में बढ़ाती हुई और लगभग 700,000 रोजगार समाप्त हो गए।
- 2010 में अमल में लाये गए यूएस-कोरिया मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य अमेरिकी निर्यात और नौकरियों में वृद्धि करना था, लेकिन तीन साल बाद व्यापार घाटा और बढ़ गया।
- उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, भारत एवं चीन के उदय और कम लागत वाले श्रम बाजारों को इन परिस्थितियों का जिम्मेदार ठहराया गया।

भारत और एफटीए

- यद्यपि भारत 1947 से ही गेट (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) का एक संस्थापक सदस्य था, जो अंततः 1995 में विश्व व्यापार संगठन में बदल गया था, लेकिन भारत 1991 के अर्थिक उदारीकरण के बाद एफटीए को लेकर गंभीर नजर आया। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत का व्यापार-जीडीपी अनुपात उल्लेखनीय स्तर पर जा पहुँचा।
- दरअसल, दोहा दौर की वार्ताओं में अंतहीन देरी के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि भारत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में स्वयं के स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा।
- इसी क्रम में यह एक मेंगा मुक्त व्यापार समझौता 'क्षेत्रीय व्यापक अर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP)' को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। यह तकनीकी स्तर पर आरसीईपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक का 19वाँ दौर है।
- विदित हो कि आरसीईपी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच संतुलित हो, जिससे कि इस में व्यापार समझौते का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। भारत के कुछ समूह इस समझौते का विरोध भी कर रहे हैं।

क्षेत्रीय व्यापक अर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) एक मेंगा मुक्त व्यापार समझौता है। भारत RCEP पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह समझौता, इसमें शामिल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी 16 देशों के बीच संतुलित हो, जिससे कि इस में व्यापार समझौते का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। भारत के कुछ समूह इस समझौते का विरोध भी कर रहे हैं।

क्या है RCEP ?

- यह एक मेंगा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- इस बारे में हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बंद कमरों में वार्ता जारी है। यह तकनीकी स्तर पर आरसीईपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक का 19वाँ दौर है। इसके अलावा, अब तक चार मंत्रिस्तरीय बैठकें और तीन अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।
- भारत क्षेत्रीय व्यापक अर्थिक साझेदारी (RCEP) पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

किन बातों का रखना होगा ध्यान ?

- भारत ने हमेशा व्यापार को उदार बनाने के लिये बहुपक्षीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है, लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं।
- पिछले 10 वर्षों में जिन देशों का भारत के साथ क्षेत्रीय व्यापारिक संधि यानी आरटीए थी और जिनके साथ यह संधि नहीं थी, दोनों ही परिस्थितियों में भारत का निर्यात समान दर से बढ़ा है।
- दरअसल, यह तथ्य सामने आया है कि आरटीए के अंतर्गत टैरिफ में कमी लाने से निर्यात में उतनी वृद्धि नहीं होती है, जितनी कि गंतव्य देशों की आय में वृद्धि से होती है।
- विदित हो कि पाँच में से केवल एक निर्यातक ही आरटीए मार्ग का उपयोग करता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संबंधित आसियान देशों, कोरिया और जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा संबंधित एफटीए पर हस्ताक्षर करने के बाद से दोगुना हो गया है।

क्या हो आगे का रास्ता ?

- दरअसल, इसमें कोई शक नहीं है कि एफटीए, सिद्धांत की दृष्टि से एक उद्देश्यपूर्ण अर्थिक नीति है, लेकिन क्या यह व्यवहार में भी उतनी ही लाभदायक है? इस पर बहस की जा सकती है। इसलिये भारत को सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिये।
- ध्यातव्य है कि आरसीईपी को लेकर हैदराबाद में जारी वार्ता का देश भर के कई समूहों द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालांकि, वार्ता में शामिल भारतीय टीम भारत के हितों की रक्षा कर सकती है और यह सुनिश्चित कर सकती है कि यह एफटीए भारत के लिये अनुचित न हो।

संभावित प्रश्न

"जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा पार व्यापार की शुरुआत एक बेहतर कदम है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण आत्मविश्वास का निर्माण करेगा।" इस कथन के सन्दर्भ में सरकार द्वारा लिए गये इस फैसले के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों की चर्चा कीजिये। (200 शब्द)